आर. ई. ओ. 39

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अअ-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रे० 1577. दिनांक 24/10/02

आदेश

निगम के आदेश क्रमाक/जोविविनिलि/अआपीपीएम/फा सा/प्रे संख्या 29 दिनांक 13.4.2001(आर.ई.ओ.03) में कृषि कनेक्शन को उसी गॉव अथवा साथ वाले गांव में स्थानान्तरित करवाने पर रुपये 1450/ प्रति हार्स पॉवर सब–स्टेशन/ट्रांसफार्मेशन चार्जेज समस्त उपभोक्ताओं से चार्ज करनें का प्रावधान किया हुआ है।

अब ऐसे कृषको को राहत पहुचाने के उद्देश्य से कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण में रुपये 1450/प्रति हार्स पॉवर ट्रासफार्मेशन चार्ज नही लिया जायेगा तथा कनेक्शन निगम के किसी भी विद्युतीकृत गांव में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

कटे हुये कृषि कनेक्शन को स्थानान्तरित करने में निम्न अतिरिक्त सुविधाये और दी जा रही है:–

1. कटे हुये कृषि कनेक्शन को जुडने के दो साल तक स्थानान्तरण पर रोक नही रहेगी तथा अधिशाषी अभियन्ता इस काम को स्वीकृत कर सकेगें।
2. कटे हुये कृषि कनेक्शन को स्थानानतरण से पूर्व उसी स्थान पर जुडवाना जरुरी नही रहेगा तथा री–कनेक्शन नये स्थान पर बनाये गये तकमीने के अनुसार किये जा सकेगा। चार्जेज प्रचलित नियमों के अनुसार ही लिये जायेगे।

उपरोक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

(एच0एस0देवडा)
उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर

जे/पी